छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

———0———

<u>छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए दिये गये अंतरिम प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन ।</u>

संविधान के 73वें संशोधन के अनुच्छेद 243–झ (1) के खण्ड (ग) तथा 243–म (1) के खण्ड (ग) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 23.07.2011 को वर्ष 2011–16 की अवधि के लिये राज्य की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा निम्नांकित विषयों/सिद्धांतों पर सिफारिश देने के लिये किया गया था:–

(1) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच वितरण जो संविधान के अधीन उनके बीच विभाजित किए जा सकें तथा समस्त स्तरों पर ऐसे आगमों के उनके अपने–अपने अंशों का उक्त निकायों के बीच आबंटन,

(2) करों, शुल्कों, पथकारों तथा फीसों का निर्धारण जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदेशित या विनियोजित की जा सकेंगी,

(3) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान,

(4) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के आश्वयक उपायों सहित उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु एवं लागतों की वसूली (प्रयोक्ता–प्रभारों) के लिए आवश्यक उपाय,

तथा राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यापाल द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी अन्य विषय पर, अपनी सिफारिशें दे सकेगा ।

2. द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन जुलाई, 2011 में करते हुए यह अपेक्षित किया गया था कि आयोग 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2012 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा । आयोग के अनुरोध पर कार्यकाल में 31 मार्च, 2013 तक के लिए वृद्धि की गई है । आयोग द्वारा उक्त अवधि तक अपनी पूर्ण अनुशंसाएं राज्य शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी । आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अनुशंसाओं को प्रभावी करने के उद्देश्य से अंतरिम प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया गया है ।

3. द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण <u>परिशिष्ट–1</u> पर अवलोकनीय है ।

परिशिष्ट–1

क्र.	राज्य वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसाएँ	राज्य शासन का निर्णय
1.	(a) वर्ष 2012–13 के लिए राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व (SOTR) विभाजनीय कोष (divisible pool) होगा, जो कि ₹ 10829.46 करोड़ आता है । (कंडिका 3.1)	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से सहमत।
	(b) स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% हिस्सा जो ₹ 866.36 करोड़ है, अंतरित करने की अनुशंसा की जाती है । (कंडिका 3.2)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है ।
	(c) अंतरित की जाने वाली राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में वितरित की जायेगी । इस प्रकार **पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15%** तथा **नगरीय निकायों का हिस्सा 1.85%** जो क्रमशः **₹666 करोड़** तथा **₹ 200.35 करोड़** होगा । (कंडिका 3.3)	सहमत । वर्ष 2012–13 में PRIs तथा ULBs को राशि का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है– PRIs- **₹ 613.25 करोड़** ULBs-**₹ 530.58 करोड़** PRIs को देय शेष **₹ 53 करोड़** का प्रावधान तृतीय अनुपूरक में किया गया है।
2.	पंचायती राज संस्थाओं को जिलावार आबंटन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड भार निर्धारित किया गया है :– (a) जनसंख्या (60%), (b) क्षेत्रफल (20%), (c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (10%), (d) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या (10%), के आधार पर होगा । आयोग ने उक्त आधार पर राज्य के सभी 27 जिलों में से प्रत्येक का हिस्सा आंकलित किया है । (कंडिका 4.1)	आयोग की अनुशंसा से सहमत । जिले एवं पंचायतवार आंवटन की कार्यवाही पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।
3.	• पंचायती राज संस्थाओं के लिए रखी गई (earmarked) राशि में त्रिस्तरीय संस्थाओं का हिस्सा इस प्रकार होगा– जिला पंचायत 3%, जनपद पंचायत 12% तथा ग्राम पंचायत 85% । (कंडिका 4.2)	आयोग की अनुशंसा से सहमत । त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को तदनुसार राशि आंवटन की कार्यवाही पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

	• नये 9 जिले के जिला पंचायतों का हिस्सा, जहां पर अभी जिला पंचायतें गठित नहीं हैं, उन जिला पंचायतों को जायेगा, जिनके साथ वर्तमान में वे संबद्ध हैं । (कंडिका 4.3)	आयोग की अनुशंसा से सहमत ।
4.	जिलों में जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के हिस्से क्रमशः 12% एवं 85% का परस्पर वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाये। (कंडिका 4.3)	आयोग की अनुशंसा से सहमत । पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।
5.	• अनुसूचित क्षेत्र के विकास खंडों की ग्राम पंचायतों (4607 ग्राम पंचायतों) की मूलभूत सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹ 2 लाख के विशेष अतिरिक्त आबंटन की अनुशंसा की है । इन ग्राम पंचायतों को कुल ₹ 92.14 करोड़ का आबंटन ग्राम पंचायतों के लिए निर्दिष्ट राशि में से होगा । इस प्रकार गैर–अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को ₹ 4.9 लाख तथा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को ₹ 6.9 लाख प्राप्त होगा । (कंडिका 4.4)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है । **अनुसूचित क्षेत्र की 4607 पंचायतों को प्रति पंचायत ₹ 2 लाख के मान से अतिरिक्त राशि दी जाएगी ।** तृतीय अनुपूरक में ग्राम पंचायतों हेतु प्रावधानित राशि ₹ 53 करोड़ में से इस राशि के आवंटन हेतु पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।
6.	नगरीय निकायों में आबंटन का मानदण्ड आधार निम्नानुसार निर्धारित है :– (a) जनसंख्या (70%), (b) क्षेत्रफल (10%), (c) गंदी बस्ती जनसंख्या (10%) (d) राजस्व प्रयास (10%) होगा । (कंडिका 5.1)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है ।
7.	• ग्राम पंचायतों को आबंटित कुल धनराशि अनाबद्ध (untied) होनी चाहिए । आबंटित राशि का राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपयोग, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है, चालू वर्ष से बन्द किया जाना चाहिए । ग्राम पंचायतों को आबंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर प्रकाश, स्वच्छता, गांवों में सफाई तथा ठोस	ग्राम पंचायतों को आवंटित कुल धनराशि के संबंध में वर्तमान व्यवस्था यथावत् रखी जाएगी ।

	अपशिष्ट की निकासी आदि उपलब्ध किये जाने के लिए ही होगा। (कंडिका 6.1) • ग्राम पंचायतों को अंतरित राशि का उपयोग पंचायत अंकेक्षकों को वेतन भुगतान हेतु किया जा रहा है और इस प्रकार व्यय भार "पंचायत से संबंधित व्यय" मद में दर्शाया जा रहा है । पंचायत अंकेक्षक राज्य शासन के कर्मचारी हैं, अतः उनका व्यय भार राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाना चाहिए । (कंडिका 6.2)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है ।
8.	नगरीय निकायों को राशि का आबंटन तदर्थ तथा मांग के आधार पर किया जाना प्रतीत हो रहा है । नगरीय निकायों को आबंटन अनाबद्ध (untied) होना चाहिए तथा उसका उपयोग केवल मूलभूत नागरिक सुविधाओं एवं नगरीय अधोसंरचना के लिए होना चाहिए । राज्य सरकार इस हेतु उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी करें । **(कंडिका 6.3)**	**नगरीय निकायों को आवंटित कुल धनराशि के संबंध में वर्तमान व्यवस्था यथावत् रखी जाएगी।**
9.	आंतरिक राजस्व प्रयासों (IRM) को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा पिछले वर्ष जुटाए गए स्वयं के राजस्व से अधिक राजस्व (जो कम से कम 10% होना चाहिए) के बराबर अनुदान (matching grant) राज्य के संचित कोष में से दे । (कंडिका 8.1)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है । आवश्यक कार्यवाही पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।
10.	राज्य में नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है, जिसके कारण आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदाय करने में असमर्थ हैं। अतः प्रत्येक नगर पंचायत को (नीचे उल्लेखित पांच नगर पंचायतों को छोड़कर) रू. 1 करोड़ एक बार सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है । शर्त यह होगी कि इस अनुदान की 50% राशि अधोसंरचना पर व्यय की जाये तथा 50% का उपयोग चिन्हित मूलभूत सेवाओं पर किया जाये। इस हेतु नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी किये जायें । (कंडिका 8.2)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है । आवश्यक कार्यवाही नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

	राज्य की नगर पंचायतों में से पांच नगर पंचायतें – बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर एवं गरियाबंद जिला मुख्यालय में स्थित हैं । जिला मुख्यालय होने की दृष्टि से इन नगरों में अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं का स्तर अच्छा होना चाहिए । इस उद्देश्य से इन नगर पंचायतों को प्रति नगर पंचायत रू. 2 करोड़ एक बार में सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है। साथ ही इन नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए, भले ही इनकी जनसंख्या कम हो । (कंडिका 8.3)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है । नवीन जिला मुख्यालय वाली 5 नगर पंचायतों को प्रति पंचायत 2 करोड़ के मान से राशि 10 करोड़ का आवंटन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा ।
11.	ग्राम पंचायतों के करों में व्यापक संशोधन तथा अन्य बिन्दुओं का परीक्षण करके सुझाव देने के लिए राज्य शासन द्वारा गठित समिति को सक्रिय किया जाना चाहिए । इस समिति को अनुशंसाएं सौंपने हेतु तीन माह की समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । (कंडिका 9.2)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है । आवश्यक कार्यवाही पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।
12.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 अतिरिक्त स्टाफ – एक सहायक तथा एक लेखापाल–कम–कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए । इस हेतु केन्द्रीय योजना "राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान" का लाभ लिया जा सकता है । (कंडिका 9.3)	"राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक–सह–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है । तदनुसार सहमति हेतु विचार किया जाएगा ।
13.	छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल रेवेन्यु रेग्युलेटरी कमीशन) का गठन यथा शीघ्र किया जाना चाहिए । (कंडिका 9.4)	राज्य शासन इस अनुशंसा को मान्य करता है । आवश्यक कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी ।
14.	राज्य के बजट में राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार स्थानीय निकायों को किये गये आवंटन के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए।	वर्ष 2013–14 के बजट में अधिक स्पष्ट रूप में प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री

(डॉ. रमन सिंह)

मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2013